भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्ना सं. 629

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

झारखंड में गुणवत्तापूर्ण सड़कें

629. श्री मनीष जायसवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं तथा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ख) हजारीबाग- झारखंड में दुर्घटना प्रवण सड़कों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय और जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

एनएच पर निर्माण और रखरखाव कार्य सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) मानकों/दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए जाते हैं। ऐसे विनिर्देशों और मानकों का पालन करते हुए कार्यों को निष्पादित करना ठेकेदार/रियायतग्राही की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार कार्य निष्पादित किए जाते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय /इसकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा परामर्शदाता (प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता) नियुक्त किए जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी यादृच्छिक आधार पर कार्यों की गुणवत्ता जांच भी करते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियां तृतीय पक्ष के गुणवत्ता

लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त करती हैं। ऐसी जांच/निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधार/पुनर्निर्माण/प्रतिस्थापन के लिए रियायतग्राही/ठेकेदार के ध्यान में लाया जाता है।

उपरोक्त प्रक्रियाएं झारखंड सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू हैं।

सरकार ने सड़क चिह्नांकन, संकेत, क्रैश बैरियर, उभरे हुए फुटपाथ मार्कर, संरेखण, अनधिकृत मध्य के खुले भाग को बंद करने, यातायात कम करने के उपाय आदि जैसे तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, साथ ही सड़क ज्यामितीय में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे के स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास आदि के निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए या तो चल रहे विकास/रखरखाव कार्यों के हिस्से के रूप में या एकल परियोजनाओं के रूप में किए हैं। इसके आगे, सरकार ने डिजाइन, निर्माण, पूर्व-प्रारंभण और संचालन चरण में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन झारखंड के हजारीबाग सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जाता है।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा प्रचार योजनाओं का भी संचालन करता है। सड़क सुरक्षा प्रचार प्रसार सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी की जाती है। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइवरों के उचित ड्राइविंग कौशल के लिए देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने की योजना भी चलाता है।

****